(वाद संख्या–2002/18)

11.05.2020

SBPDCL की ओर से एक अधिवक्ता, श्री अजय कुमार गौतम, द्वारा आयोग के दिनांक–04.02.2020 के उस आदेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन याचिका दाखिल की गयी है जिसमें प्रसंगाधीन मामले में आयोग द्वारा परिवादी, मिथिलेश कुमार निराला, के परिवाद पर SBPDCL के उपमहाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशासन), श्री सुरेश कुमार शर्मा, द्वारा उनके पत्रांक–157, दिनांक–15.05.2019 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त, मामले के गुण–दोष के आधार पर, परिवादी, मिथिलेश कुमार निराला, के अनुसूचित जाति के सदस्य होने के आधार पर गर्दनीबाग स्थित उनके सरकारी आवास में लगे बिजली कनेक्शन में साजिशपूर्वक गलत मीटर रीडिंग कर, गलत बिल देने तथा सुधार करने हेतु रिश्वत मांगने व रिश्वत नहीं देने पर उसे मानसिक एवं आर्थिक क्षति पहुंचाने से संबंधित है।

दिनांक–04.02.2020 को पारित आक्षेपित आदेश स्वयं में स्पष्ट है तथा SBPDCL की ओर से आयोग को समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर पारित किया गया है। वैसे भी आयोग के समक्ष दाखिल विद्वान अधिवक्ता के पुनर्विलोन याचिका के अवलोकन से ऐसा कोई विशेष तथ्य उजागर नहीं हो रहा है जिससे आयोग द्वारा अपने दिनांक–04.02.2020 के आक्षेपित आदेश में किसी भी तरह का पुनर्विलोकन किया जा सकना महसूस हो सके। उक्त के आलोक में उपरोक्त कथित पुनर्विलोकन याचिका का निस्तारण किया जाता है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा प्रसंगाधीन मामले में तथाकथित दोषी कर्मियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई किये जाने की अनुसंशा नहीं की गयी है, परन्तु परिवादी को हुए मानसिक एवं आर्थिक क्षति की युक्तिसंगत भरपायी किये जाने की दृष्टि से आदेश पारित किया गया है।

आज पारित आदेश की प्रति महाप्रबंधक, साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (SBPDCL), विद्युत भवन, बेली रोड, पटना–21 व परिवादी, श्री मिथिलेश कुमार निराला को भेजते हुए SBPDCL से यह अनुरोध किया जाय कि आयोग के दिनांक–04.02.2020 के आदेश का निर्धारित समय–सीमा के अन्दर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

दिनांक–21.07.2020 को संचिका अनुपालन प्रतिवेदन हेतु उपस्थापित की जाय।

ह0/–
(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक

Bihar Human Rights Commission, Patna